

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

केंद्रीय जल आयोग  
स्थापना - पाँच अनुभाग  
\*\*\*\*\*

तीसरा तल (द), सेवा भवन,  
आर के पुरम, नई दिल्ली -66.  
दिनांक 30 दिसम्बर, 2022.

सेवा में,

श्री कुलदीप सिंह,  
ओल्ड लेक कॉलोनी, अग्रवाल मार्किट के पास,  
हरडोल, उत्तर प्रदेश,

**Email Id: [kdsingh6665@gmail.com](mailto:kdsingh6665@gmail.com)**

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत माँगी गई सूचना - संबन्धित ।

महोदय,

कृपया अपने आर 0 टी 0 आई 0 आवेदन पत्र सं 0 CWCND/R/E/22/00245 दिनांक 25.12.2022 का संदर्भ लें, जिसके माध्यम से आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना माँगी है। स्थापना पाँच अनुभाग के संबंध में आपके द्वारा माँगी गयी सूचना निम्नलिखित है :-

| क्रम<br>स 0 | माँगी गई सूचना                                                                                                                                                                                                            | जवाब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | केंद्रीय जल आयोग में कार्यरत सहायक निदेशक-II के नामों का विवरण दें जिनका APAR सही न होने के बावजूद भी उनके नामों का अनुमोदन केंद्रीय जल आयोग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय को सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु किया गया है। | यह सूचना इस अनुभाग से संबन्धित नहीं है। संबन्धित अनुभाग को अग्रेषित की जा रही है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2           | केंद्रीय जल आयोग, नागपुर के अंतर्गत कार्यरत श्री अमित उत्तम गोडबोले, सहायक निदेशक-II के ऊपर पूर्व में लगे हुए क्रिमिनल कोर्ट केस के बारे में विवरण दें और केस की वर्तमान स्थिति का भी विवरण दें।                          | यह मामला यानी दावा याचिका संख्या 965/2017, जिसमें याचिकाकर्ता था मुख्तार अली मुनीर अली सैय्यद और प्रतिवादी कार्यकारी अभियंता, वेन्गंगा डिवीजन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स ब्लॉक नंबर सी/3, दूसरी मंजिल, सेमिनरी हिल्स, नागपुर 440008 थे, को दिनांक 14.09.2022 के आदेश द्वारा निरस्त (disposed off) कर दिया गया था। विस्तृत जानकारी MACT-III नागपुर कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। |
| 3           | केंद्रीय जल आयोग, नागपुर के अंतर्गत कार्यरत श्री अमित उत्तम गोडबोले, सहायक निदेशक-II की पदोन्नति हेतु उनके विजिलेंस क्लियरेंस प्रमाणपत्र में उल्लेखित कोर्ट केस का विवरण दें।                                             | यह सूचना इस अनुभाग से संबन्धित नहीं है। संबन्धित अनुभाग को अग्रेषित की जा रही है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | केंद्रीय जल आयोग, नागपुर के अंतर्गत कार्यरत श्री अमित उत्तम गोडबोले, सहायक निदेशक-II के प्रथम ज्वाइनिंग से अब तक विभिन्न स्थानों पर हुई पोस्टिंग का विवरण तथा प्रत्येक वर्ष लिए गए विभिन्न प्रकार के अवकाशों (अर्जित/वेद्यकीय/विशिष्ट इत्यादि) का विवरण भी देने का कष्ट करें।                                                                                                                                                  | यह सूचना इस अनुभाग से संबन्धित नहीं है।<br>संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित की जा रही है। |
| 5 | केंद्रीय जल आयोग, नागपुर के अंतर्गत कार्यरत श्री अमित उत्तम गोडबोले, सहायक निदेशक-II की उत्तर पूर्व के क्षेत्रीय कार्यालय में पोस्टिंग की अवधि का विवरण दें। उत्तर पूर्व के क्षेत्रीय कार्यालय में पोस्टिंग के दौरान उनके द्वारा लिए गए अवकाश/बिना वेतन अवकाश/सर्विस ब्रेक आदि का विवरण दें। यह भी विवरण दें कि उत्तर पूर्व के क्षेत्रीय कार्यालय में पोस्टिंग के दौरान वे सरकारी ऊयूटी से कितने दिन अनुपस्थित / अवकाश पर रहे। | यह सूचना इस अनुभाग से संबन्धित नहीं है।<br>संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित की जा रही है। |
| 6 | केंद्रीय जल आयोग में किसी कर्मचारी द्वारा लंबे अवकाश के दौरान सर्विस ब्रेक करने का प्रावधान तथा सर्विस ब्रेक, कोर्ट केस होते हुए भी अनाधिकृत रूप से पदोन्नति हेतु नाम का अनुमोदन केंद्रीय जल आयोग द्वारा करने के अधिकार संबंधी शक्ति का भी विवरण दें।                                                                                                                                                                          | यह सूचना इस अनुभाग से संबन्धित नहीं है।<br>संबन्धित अनुभाग को अग्रेषित की जा रही है।             |

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंध 19(1) डी ई के अनुसार श्री अनिल कुमार यादव, निदेशक (प्रशा0), तीसरी मंजिल (दक्षिण), केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली - 110066, प्रथम अपील अधिकारी हैं। इस पत्र के जारी होने के 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है।

भवदीय,

(सीमा जुनेजा)  
अवर सचिव (स्था-पाँच) एवं सी.पी.आई.ओ.  
दूरभाष : 011 29583534

प्रतिलिपि : -

- 1) अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी (आर.टी.आई.), के.ज.आ., नई दिल्ली।
- 2) अधीक्षण अभियंता(सी), मॉनिटरिंग मध्य ऑर्गनाइजेशन, के.ज.आ., तीसरा तल, ब्लॉक 'सी', सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, सेमीनारी हिल्स, नागपुर- 440006 को, क्रम सं 4 एवं 5 के संदर्भ में, इस अनुरोध से कि प्रार्थी को सीधे ही जवाब दे दें।
- 3) अवर सचिव एवं सी.पी.आई.ओ. (स्था0 तीन अनुभाग ) को क्रम सं0 1,3 एवं 6 के संदर्भ में, सीधे प्रार्थी को उत्तर देने हेतु।
- 4) उपनिदेशक, एस.एम.डी., के.ज.आ., नई दिल्ली को के.ज.आ. की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।